म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/प्रशासन/मानव संसाधन/नि./24-25/34 भोपाल दिनॉक 18 /07/2025

प्रति,

1- संयुक्त संचालक/उपसंचालक/कार्यपालन यंत्री,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय/तकनीकी संभाग समस्त।

2- सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति.........
जिला-...............(समस्त)

विषय:- आपके अधीनस्थ आऊटसोर्स /ठेका श्रमिक/दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को निर्धारित समय-सीमा में वेतन भुगतान करने विषयक।

संदर्भ:- श्रम आयुक्त, म०प्र० शासन का ई-मेल पत्र दिनॉक 09/07/2025

उपरोक्त विषय संदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय में आऊटसोर्स पर रखे गये मानव संसाधन है, उनको वेतन भुगतान करने की तिथि के समय-सीमा के संबंध में वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के प्रावधान निम्नानुसार है-

धारा 5 - वेतन के भुगतान का समय -

(1) किसी औद्योगिक या अन्य स्थापना जिसमें 1000 से कम व्यक्ति नियोजित है उनमें कार्यरत व्यक्तियों को जिस माह में कार्य किया गया है उसके अगले माह की 07 तारीख से पूर्व।

(2) किसी औद्योगिक या अन्य स्थापना जिसमें 1000 से अधिक व्यक्ति नियोजित है उनमें कार्यरत व्यक्तियों को जिस माह में कार्य किया गया है उसके अगले माह की 10 तारीख से पूर्व।

आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ मानव संसाधन एजेंसी के माध्यम से कार्यरत मानव संसाधन को अनिवार्यतः माह की 07 या 10 तारीख को (जैसी भी स्थिति हो) अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप वेतन भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

18/7

उप संचालक(प्रशासन)
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/प्रशासन/मानव संसाधन/नि./24-25/ 35 भोपाल दिनांक 18/07/2025

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।
2. निज सहायक, श्रम आयुक्त, म.प्र.शासन, इंदौर।
3. निज सहायक, प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल ।
4. अपर संचालक (वित्त) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल ।
5. संयुक्त संचालक(स्थापना) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल ।
6. आदेश नस्ती।

उप संचालक(प्रशासन)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल